Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं०- 229 / 2016-17

... बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 ...

एवं कार्रवाई से संबंधित

23/7/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074 / रा० दिनांक 13.05.2016 ... मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ... सं०-3-झा०भ०नीति-119 / 85 / 2308 / रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित ... विभागीय परिपत्र सं०-914 / रा० दिनांक 09.12.1998 में ... निदेश के अनुपालन ... गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रक्रिया की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा बड़ादहा थाना नं० 182 ज०बं० 114 खाता सं० 62 प्लॉट सं० — रकबा 0.199 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II पर जमाबंदी रैयत [illegible] कोड़ा ग्रा० बड़ादहा के नाम से कायम है।

नोटिस तामिला हेतु प्रपत्र [illegible]

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोडकर बन्दोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संदिग्ध जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की माँग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक .... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

प्रधान अधिकारी
बलियापुर

23/7/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर

9/8/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति मे संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धनबाद को भेजे। 9/8/16 अंचल अधिकारी, बलियापुर।	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, [handwritten: धनिनाथपुर]

वाद अभिलेख संख्या- [handwritten: 229]/2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम [handwritten: पृथ्वीराज कोड़ा ग्रा० बड़ादहा]

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- [handwritten: बड़ादहा] थाना नं०- [handwritten: 182] खाता नं०- [handwritten: 62] खेसरा नं०- [handwritten: –] रकबा [handwritten: 0.99 एकड़] ...त आपके नाम से ह० नं०-............ के पंजी-II भाग.......... के पृष्ठ......... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- [handwritten: 9/8/16] को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-न, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:- मुहर

स्थान:-

[signature] [handwritten: 2/8/16]

अंचल अधिकारी
[handwritten: धनिनाथपुर]

[handwritten: 2/8/16]

[signature] [handwritten: modi 05/08/016]

[handwritten: नोटिस तामिला किया
चौ० ... 06/8/16]